रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खंड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1979/फाल्गुन 21, 1900
No. 66] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 1979/PHALGUNA 21, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1979

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उप खण्ड 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 1 सीमा शुल्क (सा. का. नि.) सं. 1 (अ.), तारीख 1 जनवरी, 1979 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे

की अनुसूची में क्रम सं. 11 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
11	जापानी येन	2490

[सं. 68 सीमा शुल्क/फा. सं. 503/1/79-सी. शु.-6]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 1979

CUUSTOMS

G.S.R. 219(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 1-Cus. (G.S.R. No. 1(E) dated the 1st January, 1979, namely :—

In the Schedule below the said notification, for Serial No. 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
11	Japanese Yen	2490

[No. 68 Cus./F. No. 503/1/79-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979